डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)

पत्रांक: लो0अ0वि0 / डी0एस0डब्लू / 2020 / 1020 दिनांक: 01.02.2020

सेवा में,

विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक, समस्त शैक्षणिक विभाग, आवासीय परिसर एवं
निदेशक / प्राचार्य / प्राचार्या, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय, डा0 रा0म0लो0 अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या।

विषय: वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2019–20 में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्था स्तर से छात्र / छात्राओं के छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन, अग्रसारण एवं धनराशि वितरण हेतु तृतीय चरण की नवीन प्रस्तावित समय–सारणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक जिला समाज कल्याण अधिकारी, अयोध्या के प्रत्र संख्या सी–3503 / स0क0 / दशमो0छात्र0 / तृतीय समय सारणी / 2019–20 दिनांक 31.01.2020 के कम में आपसे अनुरोध है कि संलग्न नवीन समय सारणी से अवगत होते हुए छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2019–20 में योजना का कियान्वयन समयबद्ध सुनिश्चित करें। जिससे कोई पात्र छात्र / छात्रा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पाने से वंचित न रह जाये।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त पत्र एवं सलग्नक समस्त महाविद्यालय के लागिन पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

ई-मेल

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अयोध्या।

सेवा में,

1-कुल सचिव,
डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
2-कुल सचिव,
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या।
3-संयुक्त निदेशक,
प्रशिक्षण/शिशुक्ष,अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4-जिला विद्यालय निरीक्षक,
अयोध्या।

पत्रांक C-3503 /स0क0/दशमो0छात्र0/तृतीय समय-सारणी/ 2019-20 दिनांक 31-1-2020

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2019-20 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्था स्तर से छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन, अग्रसारण एवं धनराशि वितरण हेतु तृतीय चरण की नवीन प्रस्तावित समय-सारणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या 16/2020/362/26-3-2020-4(358)/07 टी.सी.III दिनांक 29 जनवरी 2020 के द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन, अग्रसारण एवं धनराशि वितरण हेतु तृतीय चरण की नवीन प्रस्तावित समय-सारणी निर्गत की गयी है-

क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	प्रस्तावित समयावधि कक्षा दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2019-20) तृतीय समय-सारणी
1	छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा ,सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	03 फरवरी 2020 से 05 फरवरी 2020 तक
2	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	06 फरवरी 2020 से 10 फरवरी 2020 तक
3	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना व प्रथम तथा द्वितीय चरण के जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति पर पेण्डिग डाटा पर निर्णय करना।	03 फरवरी 2020 से 29 फरवरी 2020 तक
4	संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	11 फरवरी 2020 से 16 फरवरी 2020 तक
5	आनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के तुरन्त बाद विलम्बतम् 17 फरवरी 2020 तक
6	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 फरवरी 2020 से 22 फरवरी 2020 तक

7	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	24 फरवरी 2020 से 27 फरवरी 2020 तक
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध एवं सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	29 फरवरी 2020 तक
9	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 के राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	05 मार्च 2020 तक
10	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत् PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	20 मार्च 2020 तक

उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त समय-सारणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये जनपद के समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं को निर्देश देने का कष्ट करें कि छात्रवृत्ति नियमावलियों मे उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2019-20 में योजना का क्रियान्वयन समयबद्ध सुनिश्चित करें। जिससे कोई पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति पाने से वंचित न रह जाये।

भवदीय

(अमित कुमार सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
अयोध्या।

पृष्ठाकंन संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अयोध्या।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अयोध्या।
3. उपनिदेशक सूचना को इस अनुरोध के साथ कि समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अयोध्या।